राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :—रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

| दावा सख्या | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 55 / 2019 | 27.03.2019 | 29.01.2021 |

उनवान

## अशोक बनाम रामकृपाल

**दावा बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी एवं आदेशात्मक व्यादेश**

**निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0**

**उपस्थितिः श्री सतीश यादव एडवोकेट वादीगण / अप्रार्थीगण की ओर से**
**श्री गगांराम पटेल एडवोकेट प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण सं. 1,2 की ओर से**

**—:: निर्णय::—**

**दिनांक :—29.01.2021**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये।

वकील प्रतिवादी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि —वादीगण ने यह वाद बिना कॉज ऑफ एक्शन के न्यायालय का समय जाया करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो धारा 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आने के कारण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। वादीगण का खसरा नम्बर 2520 / 0.50 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में स्थित है। जो विवादित है। उक्त विवादित आराजी मौके पर अकृर्षि अर्थात आबादी और कोमर्शियल प्रयोजनार्थ हेतु काम में ली जा रही है। मौके पर कोई कृर्षि कार्य नही होता है। रिकोर्ड में भी उक्त भूमि आबादी में दर्ज है, तथा मौके पर भी आबादी और कोमर्शिमल दर्ज भूमि है, मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार उक्त वाद में पेश है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 सिर्फ कृर्षि भूमि पर लागू होती है, अकृर्षि भूमि पर धारा 188 लागू नही होती है। धारा 188 में सिर्फ कृर्षि भूमि पर विवाद की बाबत खातेदार रीलीफ प्राप्त कर सकता है, अकृर्षि भूमि की बाबत तथा कोमर्सियल भूमि की बाबत धारा 188 का उपयोग नही लिया जाता इसलिये वादीगण [illegible] और विधि के विपरित पेश किया है, कानून और मौके के खिलाफ है, विधी विरूद्ध है, जो [illegible] 7 नियम 11 की परिधी में आता है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जा[illegible] नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के मुताबिक मय खर्चा खारिज फरमाया [illegible]

वादीगण / अप्रार्थीगण ने जबाब पेश नही करते हुए [illegible] कथन रहे की उक्त खरारा नम्बर आज दिनांक गिरदावरी, [illegible] जमाबन्दी में कृर्षि दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:06:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की सीधी बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के बिन्दूओं को दोहराते हुये प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी/वादीगणने जबाब प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के बिन्दूओं को दोहराते हुये प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया गया।

न्यायालय का निष्कर्ष है कि आराजी ख.नं.हाल 2520/0.50 वाके ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर में स्थित है। खसरा नम्बर 2550/0.50 है0 खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 में आबादी पडत दर्ज है। यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है। यह कृषि भूमि नही है। अब मौके पर भूमि कोमर्शियल के रूप में प्रयोग ली जा रही है। तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट में भी उलेखित है कि उक्त भूमि अकृर्षि कार्य में प्रयोग में ली जा रही है। जो विधि के विपरित है। इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा लाने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही हैं लेकिन वादीगण ने यह दावा बिना अधिकार व बिना कॉज ऑफ एक्शन के मनमाने तथ्यों के आधार पर पेश किये है इसलिय वादीगण का दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के मुताबिक चलने योग्य नही है।

न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य पाता है।

**—:आदेश:—**

**अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र बाबत आराजी ख.नं. हाल 2520/0.50 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।**

**खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे।**

**यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।**

29/1/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:06:36 IST
Reason: SelfAttested